न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प - भोपाल

Rev 94-PBR/17

प्रकरण क्रमांक .. ...

गजराज सिंह आत्मज दलीप सिंह
आयु- वयस्क निवासी- ग्राम -परसौरा
तहसील-बेगमगंज जिला- रायसेन । - ------ आवेदक

(38)

अभिभाषक श्री ओ.पी. दुबे
द्वारा आज दिनांक 7.11.2016
को पेश। अधीक्षक

—— विरुद्ध ——

1- दशरथ आत्मज दलीपसिंह
आयु- वयस्क

2- राजकुमार आत्मज दलीपसिंह
आयु- वयस्क
दोनों निवासी- ग्राम-हिनौतिया-बमनई
तहसील- बेगमगंज जिला- रायसेन . - - - -अनावेदकगण

पुर्नविलोकन अन्तर्गत धारा-51 म0प्र0 भू राजस्व संहिता -1959.

महोदय,

आवेदक द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 944/पी.बी.आर./2015 में पारित आदेश दिनांक 6/10/2016 से दुखित एवं असंतुष्ट होकर यह पुर्नविलोकन निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर प्रस्तुत है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक **रिव्यु 74–पीबीआर/17** जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–3–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में प्रकरण का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 944–पीबीआर/2015 में पारित आदेश दिनांक 6–10–2016 के विरूद्ध यह पुनर्विलोकन प्रस्तुत किया गया है । म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक की ओर से इस न्यायालय के उपरोक्त आदेश में अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि नहीं बतलाई गई है और ना ही ऐसी कोई साक्ष्य अथवा बात बतलाई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। अतः यह पुनर्विलोकन आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है। अध्यक्ष	